न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 245/2014

वादी :-

1. सम्पतराम पुत्र पोकरराम
   जाति-चौकीदार,निवासी-समौखी,
   तह.-जैतारण जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. पटवारी, पटवार हल्का-मोहराई
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956

तारीख रजू:.08.12.2014

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 14/03/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-समौखी, पटवार हल्का-मोहराई, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में खसरा नम्बरान् 11, 12, 13, 14, 15, 21, 121/236, 121/240, 195/256 कुल किता-9 कुल रकबा 143-04 बीघा, खसरा नम्बर 156 रकबा 13-04 बीघा, खसरा नम्बर 152 रकबा 17-07 बीघा एवं खसरा नम्बर 214 रकबा 58-06 बीघा की वादी की पैतृक भूमि आई हुई हैं। जिसका एक मात्र खातेदार काश्तकार वादी ही हूँ तथा उनके बाप दादा से लेकर आज दिन तक उक्त भूमि पर उनका ही कब्जा हैं। उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि की हिस्सा कस्सी बाबत् ककोई तनाजा नहीं हैं तथा न ही किसी प्रकार का विवाद ही हैं। वादी ने अपने हिस्से में खाज बीज डालकर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया हैं तथा वादी इस भूमि को और खेती लायक बनाना चाहता हैं तथा वह बैंक से ऋण लेना चाहता हैं। ताकि खेती के उपकरण खरीद सके, इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 से जब खेत की जमाबन्दी ली और बैंक में ऋण हेतु आवेदन किया, जो पता चला कि वादी का नाम रेकर्ड में उगमाराम पुत्र पोकरराम अंकित हैं। जबकि वादी का वास्तविक एवं सही नाम सम्पतराम पुत्र पोकरराम जाति-चौकीदार निवासी-समौखी तहसील-जैतारण जिला-पाली हैं। इसलिए वादी अपने नाम उगमाराम के स्थान पर संशोधन कर सम्पतराम करवाना चाहता हैं। वादी ने बैंक में अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा स्कूल की टी0सी0 प्रस्तुत की परन्तु उसके नामों में भिन्नता होने के कारण उसे ऋण नहीं दिया जा सकता। इसलिए यह दावा मय दस्तावेज आधार कार्ड राशन कार्ड पाठशाला की टी0सी0 वाद पत्र के साथ पेश की हैं। वादी अपनी जमीन को बैंक से ऋण लेकर ओर अधिक आधुनिक तरीके से उपजाऊ बनाना चाहता हैं। यदि उसे समय रहते ऋण नहीं मिला तो उसे भारी आर्थिक क्षति होगी। बिनायदावा दिनांक 02/12/2014 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने पटवारी से जमाबन्दी की नकले लेने पर बैंक अधिकारियों को दिखलया तो पता चला कि वादी का नाम जमाबन्दी में उगामराम दर्ज हैं, जो कि गलत हैं। जिसे संशोधन करवा कर सम्पतराम रेकर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिनके विरूद्ध दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु नोटिस देने व समयावधि समाप्त होने में काफी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

समय लगेगा। इसलिए बिना किसी दिये ही वाद श्रीमान् की अनुमति से प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया हैं।

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किया जाने तथा वादी का उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का गलत दर्ज नाम उगमाराम पुत्र पोकरराम के स्थान पर वास्तविक व सही नाम सम्पतराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। वादी ने शहादत के शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश किये, जो सामिल मिसल हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों को प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शहादत वादी के शपथ-पत्र से होती हैं। वादी का वास्तविक व सही नाम सम्पतराज पुत्र पोकरराम हैं। जबकि राजस्व रेकर्ड में उगमाराम पुत्र पोकरराम दर्ज हैं, जो गलत हैं। सरपंच के प्रमाण-पत्र एवं राशन कार्ड, आधार कार्ड संख्या 536204140560 व टी0सी0 क्रमांक/22 दिनांक 11/11/2014 दस्तावेज तथा शपथ-पत्र से वादी का नाम सम्पतराज हैं। वादी का वाद स्वीकार किया जाना एवं वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादी का उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम उगमराज पुत्र पोकरराम के स्थान पर वास्तविक व सही नाम सम्पतराम पुत्र पोकरराम दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार, जैतारण को आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-समौखी, पटवार हल्का-मोहराई, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में खसरा नम्बरान् 11, 12, 13, 14, 15, 21, 121/236, 121/240, 195/256 कुल किता-9 कुल रकबा 143-04 बीघा, खसरा नम्बर 156 रकबा 13-04 बीघा, खसरा नम्बर 152 रकबा 17-07 बीघा एवं खसरा नम्बर 214 रकबा 58-06 बीघा की भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम उगमराज पुत्र पोकरराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम सम्पतराज पुत्र पोकरराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 14/03/2015 को अयोजित मेगा लोक अदालत सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

1. सम्पतराम पुत्र पोकरराम
जाति-चौकीदार,निवासी-समौखी,
तह.-जैतारण जिला-पाली (राज.)

1. जरिए राजस्थान सरकार
तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. पटवार हल्का-मोहराई
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 245/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-समौखी, पटवार हल्का-मोहराई, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में खसरा नम्बरान् 11, 12, 13, 14, 15, 21, 121/236, 121/240, 195/256 कुल किता-9 कुल रकबा 143-04 बीघा, खसरा नम्बर 156 रकबा 13-04 बीघा, खसरा नम्बर 152 रकबा 17-07 बीघा एवं खसरा नम्बर 214 रकबा 58-06 बीघा की भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम उगमराज पुत्र पोकरराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम सम्पतराज पुत्र पोकरराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/03/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	08	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	-	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	13	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner